

## भारत में युवा अपराध का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सीधी जिले के विशेष सन्दर्भ में)

**Dr. Madhulika Shrivastava**

Professor, Department of Sociology

Government Thakur Ranmat Singh College, Rewa, (M.P.), India

**सारंश:** अपराध की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है जो हब तक कोई भी लेखक सफलता पूर्वक नहीं कर सका है इसका कारण यह है कि वास्तव में दण्डनीय अपराध मौलिक रूप में स्थान विशेष की दण्डनीति पर निर्भर करता है। जो समय-समय पर समाज के उस सशक्त समूह द्वारा निर्धारित की जाती है। जो सुरक्षा तथा सुख-शांति बनाए रखने के लिये राज्य की प्रशासनिक शक्ति द्वारा उस व्यवहार को दबाने की क्षमता रखता है। अपराध एक ऐसा कृत्य है या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो। अठारह वर्ष सेकम आयु के युवाओं द्वारा की जाने वाली अपराधिक गतिविधियों को युवा अपराध कहा जाता है। ऐसे कई तरह के अपराध है जो युवाओं द्वारा किए जाते है।

**मुख्य शब्द:** समाज, अपराध युवा और प्रशासन

**संदर्भ सूची:**

- [1]. शर्मा, मंजू 2009 नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, मार्क प्रकाशन, जयपुर पृ. 102
- [2]. सिंह, रामगोपाल 2006 सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर पृ. 13
- [3]. गुप्ता, राजेश 1994 डॉ. अंबेडकर और सामाजिक न्याय, दिल्ली पृ. 64
- [4]. अखिलेश एस. 2014 भारत में नगरीय समाज, गायत्री पब्लिकेशन पृ. 172
- [5]. नाराणी, प्रकाशनारायण 2012 कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बुक इलक्लेव, जयपुर, पृ. 69
- [6]. दैनिक भास्कर, दिनांक 27.08.2015